

प्रेषक,  
शमीम अहमद खान,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,  
प्रयागराज।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

2. कुलसचिव,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उ०प्र०

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक : 26 नवम्बर, 2021

विषय : प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा हर माह कम से कम निम्नवत् महाविद्यालयों का निरीक्षण करके आख्या अपने उच्च अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

- |  |    |
|--|----|
| 1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज          | 05 |
| 2. संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज | 15 |
| 3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।                  | 25 |
| 4. कुलसचिव।  | 05 |
| 5. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव                        | 15 |
| 6. शासन स्तर पर विशेष सचिव                         | 02 |
| 7. शासन के संयुक्त सचिव                            | 03 |
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय निरीक्षण करने के उपरान्त अपनी आख्या निदेशक, उच्च शिक्षा को उपलब्ध करायेंगे निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा निरीक्षण आख्या को परीक्षणोपरान्त शासन को उपलब्ध करायेंगे।
  4. सहायक कुलसचिव एवं उप कुलसचिव अपनी निरीक्षण आख्या सम्बन्धित कुलसचिव को उपलब्ध करायेंगे कुलसचिव परीक्षणोपरान्त निरीक्षण आख्या शासन को उपलब्ध करायेंगे।
  5. विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उच्च शिक्षा तथा कुलसचिव अपनी निरीक्षण आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।
  6. प्रत्येक अधिकारी मासिक निरीक्षण आख्या महीने की 05 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध करायेंगे।

भवदीय,

ह०/-

(शमीम अहमद खान)

सचिव

Fax.: (05452) 252244, 252344

Web.: www.vbspu.ac.in



वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पृष्ठांकन : - पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/07-(तीन)/2021/ १०७२५

दिनांक : ०२-१०-२१

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या/समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त के अनुक्रम में कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
2. विशेष कार्याधिकारी कुलपति, मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. वेबमास्टर, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव